न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 198/2024 दायर दिनाँक 26.07.2024

वादी		प्रतिवादी
1. रोशन खां पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना स्टेशन, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	बनाम्	1. रोशन खां पुत्र नाथू खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना स्टेशन, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 16.10.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी की कृषि भूमि के खेत खसरा सं0 796 रकबा 0.0800 है0, खसरा सं0 805 रकबा 0.0800 है0 वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन, जिनके पुराने खसरा सं0 405/586/2 रकबा 10 बिस्वा व खसरा सं0 405/586/4 रकबा 10 बिस्वा में अवस्थित है।

यह है कि उपरोक्त खसरा सं0 405/586/2 भूमि वादी रोशन पुत्र गुलाब खां के हक हिस्से व खातेदारी की है तथा खसरा सं0 405/586/4 भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हक हिस्से व खातेदारी की है। परन्तु राजस्व कर्मचारियों की भूल वश खसरा नम्बर 405/586/2 के वर्तमान खसरा सं0 796 में प्रतिवादी सं0 1 रोशन खां पुत्र नाथूखां का नाम दर्ज हो गया तथा प्रतिवादी सं0 1 के खसरा सं0 405/586/4 के वर्तमान खसरा नम्बर 805 में वादी रोशन खां पुत्र गुलाब खां का नाम दर्ज हो गया।

यह है कि वादी को वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 796 की नकल खतौनी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादी रोशन खां पुत्र गुलाबा खां के स्थान पर प्रतिवादी सं0 1 रोशन खां पुत्र नाथू खां का नाम लिखा हुआ हैक्टे0, तथा खसरा सं0 805 में प्रतिवादी सं0 1 रोशन खां पुत्र नाथू खां के स्थान पर वादी रोशन खां पुत्र गुलाब खां का नाम दर्ज है। जबकि खसरा सं0 796 की जायगा पर वादी का कब्जा है। जिस पर वादी को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

यह है कि दावा डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी किया जाकर खेत खसरा सं0 796 रकबा 0.0800 हैक्टे0 वाकै सरहद खुनखुना स्टेशन में प्रतिवादी सं0 1 रोशन खां पुत्र नाथू खां का नाम हटाकर वादी रोशन खां का नाम दुरूस्त किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.25 10:30:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार डीडवाना के पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/816 दिनांक 16.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं0 805 रकबा 0.08 ग्राम खुनखुना स्टेशन में रोशन खां पुत्र गुलाब खां के नाम दर्ज है एवं खसरा सं0 796 रकबा 0.08 रोशन खां पुत्र नाथु खां दर्ज है। जिसमें दौरान भू-प्रबन्ध कार्यवाही राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम गलत दर्ज हो गई है। जो कि तहसीलदार डीडवाना की उक्त रिपोर्ट में नजरी नक्शा में दर्शितानुसार सही है।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। सरहद ग्राम खुनखुना स्टेशन के खसरा नम्बर 796 में दर्ज प्रतिवादी के स्थान पर वादी अपना नाम दर्ज करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रतिवादी रोशन खां ने प्रतिदावा पेश कर खसरा सं0 805 में वादी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। उपलब्ध अभिलेख व तहसीलदार डीडवाना की तथ्यात्मक रिर्पोट के अनुसार उक्त त्रुटि भू-प्रबन्धक कार्यवाही के दौरान हुई है जो काबिले दुरूस्त है। बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री किया जाता है।

-:: आदेश ::-

दावा डिक्री सादिर कर सरहद खुनखुना स्टेशन के खसरा सं0 796 वादी रोशन खां को तथा खसरा सं0 805 का प्रतिवादी रोशन खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 16.10.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.25 10:30:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना,
बइजलास : पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 198/2024 दायर दिनाँक 26.07.2024

वादी		प्रतिवादी
1. रोशन खां पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना स्टेशन, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	बनाम्	1. रोशन खां पुत्र नाथू खां जाति मुसलमान निवासी खुनखुना स्टेशन, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन राज0। 2. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
रास्ता तरमीम, घोषणा खातेदारी
रेकर्ड दुरूस्ती, स्थायी निषेधाज्ञा

दिनाँक 16.10.2024

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट वादी की आरे से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद खुनखुना स्टेशन के खसरा सं0 796 वादी रोशन खां को तथा खसरा सं0 805 का प्रतिवादी रोशन खां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.10.2024 को सरे इजलास में जारी की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.04.25 10:30:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner